


भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-240/2019-20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
26.02.2021	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव के पत्रांक-45, दिनांक-06.02.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक 13.02.2021 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिक्रेता नाथु राम डाँगिल, पिता-स्व० चाम्बुराय डाँगिल, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-लान्डुपादा, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम ने मौजा-कराईकेला, थाना नं०-607, खाता नं०-320, खेसरा नं०-2209, रकवा-0.22 ए० भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत क्रेता रान्दो मेलगान्डी, पिता-स्व० सुरेश मेलगान्डी, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-कराईकेला (डुबसुरी), थाना-कराईकेला, जिला-प० सिंहभूम को बिक्री करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी बन्दगाँव के प्रतिवेदानुसार आवेदित भूमि कृषि भूमि है।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली भूमि आवेदक नाथु राम डाँगिल, पिता-स्व० चाम्बुराय डाँगिल, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-लान्डुपादा, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक की भूमि को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, बन्दगाँव के प्रतिवेदानुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना क्षेत्र-कराईकेला, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति हो (अ.ज.जा.),समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि ईलाज एवं अन्य घरेलु कार्यों में बिक्री हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को कुल रकवा 3.00 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि बिक्रेता नाथु राम डाँगिल, पिता-स्व० चाम्बुराय डाँगिल, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-लान्डुपादा, थाना-कराईकेला, जिला प० सिंहभूम उक्त भूमि 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p>	<p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। </p>